

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 404
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पीएलआई योजना के तहत इस्पात क्षेत्र में रोजगार सृजन

404. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के अनुमानित रोजगार सृजन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने हेतु क्या विशिष्ट तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा इन नौकरियों को दीर्घकालिक बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹6,322 करोड़ के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए उन कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो निर्दिष्ट निवेश एवं उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करती हैं। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, उत्पाद पोर्टफोलियो आदि से संबंधित निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित है।
